भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 465
दिनांक 06 **फरवरी**, 2023

राज-सहायता वाले और बिना राज-सहायता वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत

465 **श्री मल्लिकार्जुन खरगे**:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों में राज-सहायता वाले और गैर-राज-सहायता वाले एलपीजी सिलेंडरों की कीमत का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत पांच वर्षों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण-एलपीजी योजना के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार एलपीजी सिलेंडर पर राज-सहायता प्रदान कर रही है;
(घ) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में लाभार्थियों की वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या कितनी है; और
(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): डीबीटीएल (पहल) योजना, 2014 के कार्यान्वयन के बाद से बाजार में सभी उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी सिलिंडर का मूल्य समान है। यथा लागू राजसहायता, पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे अंतरित कर दी जाती है।

देश में एलपीजी सहित पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में संबंधित उत्पादों के मूल्यों से जुड़े हैं। तथापि, सरकार घरेलू एलपीजी के प्रभावी मूल्य को घटाती-बढ़ाती रहती है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंम नियों को घरेलू एलपीजी की बिक्री पर काफी हानि हुई है। इस हानि की क्षतिपूर्ति के लिए, सरकार ने हाल ही में ओएमसीज के लिए 22000 करोड़ रुपए की एकमुश्त क्षतिपूर्ति राशि को संस्वीकृति दी है। सरकार ने वर्ष 2022-23 में प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों के लिए 12 रीफिल तक 200 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की लक्षित राजसहायता की शुरूआत की है।

पिछले पाँच वर्षों में दिल्ली में 14.2 कि.ग्रा. के घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के मूल्यों का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(घ) पिछले पाँच वर्षों के दौरान एलपीजी राजसहायता के लिए आवंटित निधि का विवरण निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
एलपीजी (डीबीटीएल) राजसहायता के लिए लाभ का प्रत्यक्ष अंतरण	13,122	16,570	29,719	25,620	3,347
प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) राजसहायता	2,252	3,200	3,724	9,690	1,618
कुल	15,374	19,770	33,443	35,310	4,965

स्रोतः पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी)

पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा एलपीजी पर दी जाने वाली राजसहायता का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
एलपीजी (डीबीटीएल) राजसहायता के लिए लाभ का प्रत्यक्ष अंतरण (क)	20905	31539	22726	3658	242
प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) राजसहायता (ख)	2559	5670	1446	76	1569
प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेमी) राजसहायता (ग)				8162	
एलपीजी पर कुल राजसहायता (क+ख+ग)	23464	37209	24172	11896	1811

स्रोतः पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी)

(ङ) पिछले पाँच वर्षों के लिए एलपीजी राजसहायता के लाभार्थियों का विवरण निम्नानुसार है:

आज की तिथि के अनुसार	**लाभार्थियों की संख्या**
01.04.2018	20,21,20,070
01.04.2019	24,67,63,542
01.04.2020	26,29,12,547
01.04.2021	27,16,18,904
01.04.2022	28,36,77,886

स्रोतः ओएमसीज की ओर से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)

*****

अनुलग्नक

"राज-सहायता वाले और बिना राज-सहायता वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत" के संदर्भ मे श्री मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा दिनांक 06.02.2023 **को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या** 465 **के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक**

प्रभावी दिनांक से	**दिल्ली में** 14.2 **कि.ग्रा. के घरेलू एलपीजी सिलिंडर का आरएसपी#**
1-जनवरी-18	741.00
1फरवरी-18	736.00
1-मार्च-18	689.00
1-अप्रैल-18	653.50
1-मई-18	650.50
1-जून-18	698.50
1-जुलाई-18	754.00
1-अगस्त -18	789.50
1-सितंबर-18	820.00
1-अक्टूबर-18	879.00
1-नबंबर-18	939.00
7-नबंबर-18	942.50
1-दिसंबर-18	809.50
1-जनवरी-19	689.00
1फरवरी-19	659.00
1-मार्च-19	701.50
1-अप्रैल-19	706.50
1-मई-19	712.50
1-जून-19	737.50
1-जुलाई-19	637.00
1-अगस्त-19	574.50
1-सितंबर-19	590.00
1-अक्टूबर-19	605.00
1-नबंबर-19	681.50
1-दिसंबर-19	695.00
1-जनवरी-20	714.00
1फरवरी-20	714.00
12फरवरी-20	858.50
1-मार्च-20	805.50
1-अप्रैल-20	744.00
1-मई-20	581.50
1-जून-20	593.00
1-जुलाई-20	594.00

2-दिसंबर-20	644.00
15-दिसंबर-20	694.00
4फरवरी-21	719.00
15फरवरी-21	769.00
25फरवरी-21	794.00
1-मार्च-21	819.00
1-अप्रैल-21	809.00
1-जुलाई-21	834.50
17-अगस्त-21	859.50
1-सितंबर-21	884.50
6-अक्टूबर-21	899.50
22-मार्च-22	949.50
7-मई-22	999.50
19-मई-22	1,003.00
6-जुलाई-22	1,053.00
1फरवरी-23	1,053.00

स्रोत : आईओसीएल

डीबीटीएल योजना के अंतर्गत, यथा लागू राजसहायता, पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे अंतरित कर दी जाती है। इसके अलावा, दिनांक 21 मई, 2022 से सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों के लिए एक वर्ष में 12 रीफिल तक 200 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की निर्धारित राजसहायता शुरू की है।